RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper
Available online at: www.rhimrj.co.in

महिला सशक्तिकरण के बौद्धिक एवं मानसिक आयाम

डॉ0 दीपशिखा

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहली आवश्यकता है बौद्धिक एवं मानसिक सशक्त। यही, महिला को प्रत्येक क्षेत्र में सफल बना सकती है।

अनेक आधुनिक कालीन महिलाए आर्थिक रूप से काफी सक्षम हैं किन्तु उनमें दृढ़ मानसिक इच्छाशक्ति का अभाव होने के कारण वह अनेक प्रकारों से प्रताड़ित होती रहती हैं और उनका विरोध करने का वह साहस तक नहीं जुट पाती।

दहेज प्रथा ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने अनेक महिलाओं को प्रताड़ित किया और जीते जी मार दिया। अनेक महिलाओं को असामयिक मौत की गोद में सुला दिया। कई पिताओं ने अपनी बिटिया के दुःख से दुखी होकर आत्महत्याएँ कर ली। तदुपरांत आज भी लड़कियाँ इस कुप्रथा का विरोध नहीं कर पाती।

शासकीय नीतियों, अधिनियमों एवं अन्य सार्वजनिक प्रयासों के बावजूद दहेज प्रथा बरकरार है क्योंकि लड़कियाँ स्वयं इस प्रथा को अपनी शासन का दमकता हुआ तारा समझती हैं।

बाल–विवाह में व्याप्त तमाम खामियों को जानकर भी महिलाएँ अनजान बन जाती हैं और उचित वर मिलते ही नाबालिग बेटियों की शादी करने में नहीं चूंकती। बहाना होता है– बूढ़ी सासू माँ की अंतिम इच्छाओं का या फिर पति धौंस का।

क्या यहाँ मानसिक सशक्ता की आवश्यकता नहीं है? है।

यही मानसिक दुर्बलता अंततः दुःख देती है। सामाजिक बुराईयों की जड़ों को सिंचती है। जिससे वह पनपती ही जाती है।

मध्यम वर्ग की शिक्षित एवं कार्यरत महिलाएँ आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इसका स्वरूप शारीरिक एवं मानसिक दोनों हो सकता है। आर्थिक सशक्तता को दरकिनार कर हमारी भारतीय पारिवारिक व्यवस्था महिलाओं को चौतरफा कुचलती है और महिलाएँ सब कुछ समझने के बावजूद इन परिस्थितियों से समझौता करती रहती है किन्तु उनमें प्रतिकार करने की क्षमता नहीं होती हैं।

घरेलू हिंसा का विरोध करते हुए यदि कोई महिला पुलिस थाना जाने तक जाने का साहस करके, रिपोर्ट लिखा भी देती है तो न्यायालय में जाकर समझौता कर पुनः पति की शरण में चली जाती है। कोर्ट पेशी के दौरान झूठा बयान देती रहती है क्योंकि अब उसके सामने उसके बच्चों का भविष्य और माता–पिता की इज्जत का प्रश्न खड़ा हो जाता है।

मानसिक तौर पर सशक्त अनेक महिलाएँ घरेलू हिंसा से बचने के लिए तलाक ले लेती है किन्तु यह समस्या का समाधान नहीं है। वस्तुतः विवाहित जीवन के प्रारंभिक दौर पर ही महिलाओं को छोटी–छोटी घरेलू हिंसाओं का प्रतिकार करना चाहिए और अपने दृष्टिकोण से दृढ़तापूर्वक परिवारजनों को अवगत करा देना चाहिए ताकि हिंसा का स्वरूप भयानक न हो और ना ही विवाह–विच्छेद की स्थिति का सामना करना पड़े।

सार्वजनिक स्थलों पर होनेवाली छेड़खानी का शिक्षित लड़कियों एवं महिलाओं को कड़ा विरोध करना चाहिए, किन्त दुर्भाग्यवश उच्चत्तर डिग्रियाँ एम.ए. और पी.एचडी. पास महिलाएँ भी भय से ग्रसित होकर छेड़खानी का विरोध नहीं करती है। ऐसे

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

में अशिक्षित एवं ग्रामीण महिलाओं का तो जिक्र करना ही व्यर्थ है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का मूल उद्देश्य ही नष्ट होता दृष्टिगत होता है।

कार्यस्थल, शासकीय या अशासकीय दोनों जगह पर महिलाओं का यौन शोषण, अभद्र व्यवहार एवं अश्लील घटनाओं की खबर अखबारों में छपना आम बात है। महिलाएँ पीड़ित होने के बावजूद इसके विरूद्ध कदम नहीं उठा पाती है।

हालांकि अब कुछ महिलाएँ कार्यालय स्थल पर होनेवाली अश्लील हरकतों के विरूद्ध कार्यवाही करने लगी हैं। किन्तु ऐसी साहसी महिलाओं को प्रोत्साहित करने वालों की संख्या न्यूनत्तम है।

महिला आयोग के गठन के उपरांत महिलाओं का मनोबल बढ़ा है। कुछ महिलाएँ अपने साथ हुए अन्याय की शिकायतें महिला आयोग को भी करने लगी हैं, किन्तु ऐसी महिलाएँ भी गिनी–चुनी ही हैं।

सच तो यह है कि महिला बौद्धिक एवं मानसिक दृष्टिकोण से सक्षम है किन्तु उसमें आत्म–विश्वास की कमी है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य बंधनों में जकड़ी होने के कारण वह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती है।... किन्तु उपयोग तो करना ही पड़ेगा। कुप्रथाओं एवं अन्यायों का प्रतिकार करना मानव का परम कर्त्तव्य होना चाहिए।

भावुकता एवं दयालुता का जामा उतार कर महिला को सशक्त बनना ही पड़ेगा। यही सशक्तता ही, स्वयं महिलाा, परिवार, समाज एवं राष्ट्र को सश्याक्त बनायेगी।

महिला सर्वशक्तिमान है। सामाजिक बुराईयों एवं असमानता की समाप्ति के लिए महिलाओं को पुनः दुर्गा एवं काली का रूप धारण करना पड़ेगा। तभी समाज सशक्त बनेगा।

महिलाएँ अपनी आत्मशक्ति के बल पर समस्त कार्यों को अंजाम दे सकती हैं। इसलिए सर्वप्रथम महिलाओं की मानसिक सशक्तता आवश्यक है। इसके लिए महिला जूडो–कराटे सीख सकती हैं। यह उसके मनोबल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. गीताश्री, नारी अस्मिता के प्रश्न, पृ. 40–46।
2. डॉ0 रमेश उपाध्याय, आज का स्त्री आन्दोलन, पृ. 2–10।
3. अनामिका, कविता में औरत, पृ. 70–72।
4. राजकिशोर राम : स्त्री, परम्परा और आधुनिकता, पृ. 90–96।
5. आशारानी व्होरा : नारी शोषण, आइने और आयाम।
6. सुभाष सेतिया : स्त्री अस्मिता के प्रश्न, पृ. 80–83।
7. नासिरा शर्मा : औरत के लिए औरत, पृ. 90–95।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)